राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र
NATIONAL CENTRE FOR EARTH SCIENCE STUDIES
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences, Government of India
पी.बी.नं. 7250, आक्कुलम, तिरुवनन्तपुरम – 695011, भारत
P.B.No. 7250, Akkulam, Thiruvananthapuram – 695011, India

संदर्भ.सं/Ref No.: EAM-CW/2/2026/-EAM-NCESS दि/Dt: 20.11.2026

निविदा आमंत्रण सूचना/ NOTICE INVITING TENDER

कार्य का नाम: कमरे की संख्या **506** का नवीनीकरण

Name of Work: Renovation of room no. 506

खण्ड क : निविदा सूचना एवं अवलोकन

SECTION A: TENDER NOTICE AND OVERVIEW

निदेशक, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एन.सी.ई.एस.एस.), एन.सी.ई.एस.एस. परिसर, तिरुवनंतपुरम में उपर्युक्त कार्य के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी एवं राज्य पी.डब्ल्यू.डी., एम.ई.एस., रेलवे, सिंचाई विभाग, के.डब्ल्यू.ए. के पात्र ठेकेदारों से ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

Director, National Centre for Earth Science Studies, invites e-tenders from eligible contractors of CPWD and State PWDs, MES, Railways, Irrigation Department, KWA for the above work, in NCESS campus, Thiruvananthapuram.

1. Schedule & Financial Highlights

Parameter	Details
Type of Tender	E-Tender (Open)
E-Tender No.	EAM-CW/2/2026/-EAM-NCESS
Item Description	Renovation of room no. 506
Tender Type	Two Bid System: • Techno-Commercial Bid • Financial Bid (Financial bid will be opened only for firms found technically qualified after evaluation of technical bids)
Mode of Submission	Online mode
Last Date of Submission	09.12.2026 (Wednesday) at 05.00 pm

Date & Time of Opening	11.12.2026 (Friday) at 09.00 am
EMD	₹ 11,424/- (Rupees Eleven Thousand Four Hundred Twenty-Four only)
Estimated Value	Rs. 5,71,178/- (Rupees Five Lakhs Seventy-One Thousand One Hundred and Seventy - Eight only, inclusive of GST)
Performance Guarantee	5% Contract Amount
Completion Period	40 Days
Tender Validity	180 Days
Defect Liability Period	12 Months

2. पात्रता एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी दिशा-निर्देश

1. लाइसेंस संबंधी आवश्यकता: सी.पी.डब्ल्यू.डी. (CPWD) / पी.डब्ल्यू.डी. (PWD) / एम.ई.एस. (MES) / रेलवे / सिंचाई विभाग / के.डब्ल्यू.ए. (KWA) के वैध लाइसेंस की विधिवत सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. **पोर्टल एवं प्रस्तुतीकरण:** विस्तृत विशिष्टियाँ बी.ओ.क्यू. में सूचीबद्ध हैं। बोली दस्तावेज़ वेबसाइट https://www.ncess.gov.in/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक्सेल प्रारूप में बी.ओ.क्यू. अनुसूची https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. **समान कार्य का अनुभव:** इच्छुक बोलीदाता ने बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के ठीक पिछले दिन समाप्त होने वाले विगत 7 वर्षों के दौरान समान प्रकृति के कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए हों:

2. Eligbility & Submission Guidelines

1. **License Requirement:** A copy of the CPWD / PWD / MES / Railways / Irrigation Department / KWA valid license duly attested should be enclosed.
2. **Portals & Submission:** Detailed specifications are listed in the BOQ. Bid document can be downloaded from website https://www.ncess.gov.in/. BOQ schedule in Excel format should be submitted via https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
3. **Similar Work Experience:** The intended bidder must have successfully completed works of similar nature during the last 7 years ending previous day of last date of submission of bids:

खण्ड ख: सामान्य निबंधन एवं शर्तें

SECTION B: GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ख.1 पात्रता एवं निविदा अधिकार

1. निविदाकर्ता अपने स्वयं के हित में निविदा शर्तों एवं पूर्व-अर्हता मापदंडों के विवरण हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़ का अवलोकन कर लें।
2. निदेशक, एन.सी.ई.एस.एस. के पास निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को बिना कोई पूर्व सूचना दिए सभी कोटेशनों/निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
3. लोक निर्माण विभाग/ केरल जल प्राधिकरण/ केरल राज्य विद्युत बोर्ड अथवा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या एम.ई.एस.या रेलवे के पंजीकृत ठेकेदार इस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

B.1 Eligibility & Tender Rights

1. The tenderer should see the document for details of the tender conditions and pre-qualification criteria, in their own interest, on the website.
2. The Director, NCESS reserves the right to accept or reject all quotations/tenders without any intimation to the tenderer who participated in the tender.
3. Registered contractors of PWD / Kerala Water Authority / Kerala State Electricity Board or Central Public Works Department or MES or Railway for the work may submit to the tenders.

ख.2 वित्तीय शर्तें, कर एवं कटौतियाँ

1. ठेकेदार द्वारा सभी वैधानिक देयों, कानूनी एवं श्रम संबंधी आवश्यकताओं तथा अंशदान/प्रेषणों का भुगतान किया जाएगा। लागू नियमों के अनुसार आयकर (IT), जीएसटी (GST), के.एस.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी. (KSCWWB), जल प्रभार आदि के मद में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जाएगी।
2. ठेकेदार के पैन कार्ड एवं पहचान पत्र विवरण की प्रति प्रदान करना अनिवार्य है। जिस ठेकेदार को कार्य आवंटित किया जाता है, उसके पास वैध आयकर पैन संख्या होनी चाहिए। बिल से नियमानुसार आयकर की वैधानिक कटौती की जाएगी।
3. एन.सी.ई.एस.एस. द्वारा विधिवत सत्यापित एवं प्रमाणित बिलों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। भुगतान केवल वास्तविक निष्पादित मात्रा के लिए किया जाएगा। भुगतान केवल पी.एफ.एम.एस. / बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ही किया जाएगा।
4. दरों में वृद्धि या कार्य पूर्ण करने की अवधि में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. कोई अग्रिम भुगतान या आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. पैन एवं जीएसटी संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7. अनुमानित मूल्य में कर शामिल है।
8. दरें निर्धारित बी.ओ.क्यू. की एक्सेल फ़ाइल में ही उद्धृत की जानी चाहिए। उद्धृत दरों में विशिष्टियों तथा निविदा अनुसूचियों में परिकल्पित सभी क्रियाकलाप शामिल होंगे, जिनमें ऐसे कार्यों के लिए आवश्यक सभी आनुषंगिक/सहायक कार्य (जैसे पाड़ निर्माण आदि) शामिल हैं। "उद्धृत दरों में जीएसटी शामिल होगा।

B.2 Financial Terms, Taxes & Deductions

1. All statutory dues, legal and labor requirements, and remittance are to be remitted by the contractor. TDS on account of IT, GST, KSCWWB, water charges, etc., will be deducted as per the rules in force.
2. A copy of PAN card and ID proof details of contractor must be provided. The contractor to whom the work is awarded should have valid income tax PAN number. Statutory deduction of Income Tax will be made from the bill.
3. Payment will be made against the bills, duly verified and certified by NCESS. Payment will be made only for the executed quantity. Payment will be made only through PFMS/bank transfer.
4. No increase of rates or extension of time for work completion will be allowed.
5. No advance payment or part payment will be made.
6. It is mandatory to produce PAN and GST numbers.
7. The Estimated Value is inclusive of tax.
8. The rate should be quoted in the specified BOQ file in excel format. The quoted rate shall be inclusive of all the operations contemplated in the specifications and tender schedules including all incidental work necessary for such operations such as scaffolding, etc. "The rates quoted shall be inclusive of GST".

ख.3 अनुबंध निष्पादन एवं कार्य-निष्पादन प्रतिभूति

1. कार्य निष्पादन की अवधि **40** दिन होगी। एन.सी.ई.एस.एस. और फर्म दोनों ही एक माह का नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर सकते हैं। यदि अनुबंध फर्म द्वारा रद्द किया जाता है या फर्म द्वारा उचित सेवा न देने अथवा उसके दुर्व्यवहार/खराब आचरण के कारण एन.सी.ई.एस.एस. द्वारा रद्द किया जाता है, तो कार्य-निष्पादन गारंटी / सुरक्षा जमा ज़ब्त कर ली जाएगी।
2. चयनित बोलीदाता को कार्य आदेश प्राप्त होने की तिथि से **10** दिनों के भीतर अनुबंध राशि के 5% के बराबर कार्य-निष्पादन गारंटी (PG) एन.सी.ई.एस.एस. के खाते में जमा करके एन.सी.ई.एस.एस. (अनुबंध प्राधिकारी) के साथ अनुबंध समझौता करना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित पीजी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उस बोलीदाता की धरोहर राशि (EMD) ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि ठेकेदार समझौते पर हस्ताक्षर करने और निर्दिष्ट अनुसार कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है, तो एन.सी.ई.एस.एस. को उक्त पीजी को पूर्णतः ज़ब्त करने तथा ठेकेदार को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित (Debar) करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. ठेकेदार कार्य आदेश प्राप्त होने की तिथि से **15 दिनों** के भीतर (कार्य-निष्पादन गारंटी जमा करने के पश्चात) कार्य स्थल का प्रभार संभाल लेगा। यदि आवश्यक राशि जमा करने, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या कार्य का कब्ज़ा लेने में बोलीदाता की चूक के कारण एन.सी.ई.एस.एस. को कोई नुकसान होता है, तो फर्म को एन.सी.ई.एस.एस. के साथ अनुबंधों के लिए बोली प्रस्तुत करने की पात्रता से एन.सी.ई.एस.एस. द्वारा तय की गई अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर स्थल का प्रभार लेने उपस्थित नहीं होता है, तो जोखिम और लागत की भरपाई पीजी से की जाएगी।
4. **अनुबंध की समाप्ति:** यदि ठेकेदार कार्य आदेश में निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो एन.सी.ई.एस.एस. बिना किसी नोटिस के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार पर एक वर्ष की अवधि के लिए एन.सी.ई.एस.एस. की भावी निविदाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी जाएगी। यदि एन.सी.ई.एस.एस. अनुबंध/कार्य की प्रगति से संतुष्ट नहीं है और ठेकेदार सहमत समय-सीमा के भीतर देरी की भरपाई करने में विफल रहता है, तो एन.सी.ई.एस.एस. अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
5. परिनिर्धारित क्षति शून्यता खंड : कार्य के निष्पादन में किसी भी प्रकार की क्षति या विलंब की स्थिति में, विलंब के प्रति सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए कार्य आदेश के मूल्य के 0.5% की दर से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली विक्रेता के बिल/बीजक से की जाएगी, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 5% के अधीन होगी।

B.3 Contract Execution & Performance Security

1. The period for execution of the work will be **40** days. Both NCESS and the firm can cancel the contract by giving one-month notice. If the cancellation is done by the firm or it is done by NCESS due to lack of proper service or misconduct on the part of the firm, the performance guarantee/security deposit will be forfeited.
2. The selected Bidder shall enter into the Contract Agreement with the NCESS (Agreement Authority) with the remittance of a Performance guarantee equal to 5% of the contract amount to NCESS account within 10 days from the date of receipt of Work order. If the contractor fails to furnish the prescribed PG within the prescribed period, the EMD of that bidder will be forfeited. Further, if contractors fail to execute the Agreement and commence the work as specified, the NCESS has liberty to forfeit the said PG absolutely and to debar the contractor for participation in the re-tendering process of work.
3. The Contractor shall take over charge of the site within 15 days (after remitting the performance guarantee) from the date of receipt of Work Order. If any loss to NCESS happens, as a result of such measure due to the default of the bidder to pay the requisite deposit, sign contracts or take possession of the work, then the firm will be suspended for the period of time decided by NCESS from being eligible to submit bids for contracts with NCESS recovery towards the risk and cost will be made from the PG, if the contractor does not turn-up to take-charge of site within the time prescribed.
4. Termination of contract: In the event of the contractor, not been able to complete the work within the time stipulated in the work order, NCESS reserved its right to terminate the contract, without any notice and the contractor will not be considered for future tender with NCESS for a

period of one year. If the NCESS is not satisfied with the progress of the contract/ work and in the event of failure of the contractor to recoup the delays in the agreed time frame, NCESS can terminate the contract.

5. Liquidity Damage Clause: In case of any damage and delay in completion of the work, liquidated damages at the rate of 0.5% of the work order per week of delay or part thereof, subject to a maximum of 5% of the contract value shall be recovered from the vendor's bill/invoice.

ख.4 स्थल संचालन एवं उपयोगिताएँ

1. एन.सी.ई.एस.एस. प्रस्तावित कार्य स्थल तक किसी भी पहुँच मार्ग या अन्य साधन का निर्माण करने या उसे उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व नहीं लेता है; बोलीदाता को प्रस्तावित स्थल तक उपलब्ध पहुँच मार्गों की जानकारी स्वयं प्राप्त कर लेनी चाहिए और विभिन्न मदों के लिए अपनी दरें उद्धृत करनी चाहिए। कार्य स्थल की अनुपलब्धता या पहुँच न होने का तर्क देकर बाद में प्रस्तुत किए गए किसी भी दावे के लिए एन.सी.ई.एस.एस. उत्तरदायी नहीं होगा।
2. कार्य हेतु बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, ठेकेदार स्वयं कार्य स्थल की स्थिति का निरीक्षण करेंगे तथा निकटवर्ती स्थानों पर सामग्रियों की उपलब्धता, निष्पादन के दौरान आ सकने वाली कठिनाइयों आदि के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हो लेंगे।
3. ठेकेदार द्वारा एक योग्य तकनीकी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जो कार्य के निष्पादन के दौरान पूरे समय कार्य स्थल पर उपलब्ध रहेगा।
4. सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण ठेकेदार द्वारा एन.सी.ई.एस.एस. के निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर किया जाएगा और परीक्षण के परिणाम जांच एवं सत्यापन हेतु एन.सी.ई.एस.एस. के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. ठेकेदार अपनी सामग्रियों को रखने के लिए अपने स्वयं के उपकरण और स्टोर शेड प्रदान करेगा तथा सामग्रियों के उचित उपयोग, सुरक्षित अभिरक्षा, एवं किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, चोरी, गलत रखरखाव, मौसम के प्रभाव या किसी भी अन्य कारण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।
6. कार्य स्थल पर तथा परिवहन (ट्रांजिट) के दौरान सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7. एजेंसी को आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। अथवा ठेकेदार से अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बाद ही विभाग केवल उपर्युक्त कार्य निष्पादित करने के लिए विद्युत पावर आउटलेट स्वीकृत करने पर विचार कर सकता है। ठेकेदार को मीटरिंग की व्यवस्था करनी होगी तथा मौजूदा विभागीय शुल्क (टैरिफ) के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा / बिल से कटौती करानी होगी। कार्य निष्पादन की अवधि के दौरान किसी भी कारण से हुई दुर्घटना या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। अधोहस्ताक्षरी के पास बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति स्वीकृति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

B.4 Site Operations & Utilities

1. NCESS does not undertake to construct or make available any approach road or other means of approach to the proposed work site and the bidder shall get acquainted with the available means of approaches to the proposed site and quote for the various items. NCESS shall not be liable for any claim raised later on the plea of non-availability or non-access to the site.
2. The contractor will examine the site condition and satisfy themselves of the availability of materials at nearby places, difficulties which may arise during execution etc. before submitting bids for the work.
3. A qualified Technical Supervisor shall be appointed by the contractor and shall remain available at the work site throughout the execution of the work.
4. Testing the quality of the materials will be done by the contractor at his cost as directed by the NCESS and results of tests are to be furnished before NCESS for check and verification.
5. The contractor will provide his own tools and store sheds to store his own materials and will be entirely responsible for the proper use and safe custody of the latter and also for any loss, damage, and theft, mishandling weathering or any cause whatsoever.
6. The responsibility for safe custody of materials at worksite and during transit will be vested with the contactor.
7. The agency must make its own arrangement for required electric power supply. Nothing extra shall be paid on this account. OR The department may consider sanctioning an electric power outlet to execute the above work only, after receiving the request letter from contractor. The contractor must make metering arrangement and pay the amount / deduct from the bill as per existing department tariff. The contractor shall be responsible for any accident due to due to any cause or damage incurred during the period of execution of work. The undersigned reserves the right to terminate the power supply sanction without any notice.

ख.5 सुरक्षा, क्षति एवं अनुपालन

1. ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और दुर्घटनाओं के मामले में आवश्यक क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 (अब कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923) के तहत जोखिमों को कवर करने, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने और कार्य की प्रगति के दौरान स्थल पर श्रमिकों की चोट या मृत्यु के लिए बीमा कराने हेतु बाध्य है। इसके अनुसार, ठेकेदार कार्य में लगे श्रमिकों की चोट या मृत्यु के लिए बीमा पॉलिसियां और प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा वे पॉलिसियां एवं बीमा प्रमाण पत्र कार्य प्रारंभ होने से पूर्व एन.सी.ई.एस.एस. को सौंपे जाएंगे।
2. ठेकेदार उचित मजदूरी खंड की शर्तों का पालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
3. ठेकेदार बिजली के तारों, टेलीफोन केबलों, पानी की पाइपलाइनों जैसे सार्वजनिक उपयोगिताओं और निजी संपत्ति को होने वाले सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा, जिन्हें न्यूनतम विलंब के साथ मरम्मत और पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

4. कार्य अत्यधिक सावधानी से निष्पादित किया जाना चाहिए तथा मैनहोल, वर्षा जल संग्रह गड्ढों, गल्ली ट्रैप और सीवेज लाइनों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए।
5. अन्य एजेंसियों द्वारा अपने विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई से स्वयं को मुक्त कराने के लिए ठेकेदार अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा।
6. एन.सी.ई.एस.एस. द्वारा जारी निविदा अनुसूची की प्रविष्टियों में बोलीदाताओं द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा; यदि बोलीदाताओं को कुछ भी नोट करना हो, तो वे उसे पृष्ठ के निचले भाग में पाद-टिप्पणी के रूप में नोट करें। यदि निविदाकर्ता द्वारा निविदा अनुसूची में कोई संशोधन किया जाता है, तो निविदाएं निरस्त की जा सकती हैं।
7. इसमें उल्लिखित शर्तें ठेकेदार पर बाध्यकारी हैं और इन्हें सफल बोलीदाता तथा एन.सी.ई.एस.एस. के बीच एक प्रारंभिक समझौते के रूप में माना जाएगा।
8. बोलीदाता द्वारा विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित सभी अनुलग्नकों को जमा करना अनिवार्य है। इस आवश्यकता का पालन न करने वाली किसी भी बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।
9. निविदा की स्वीकृति का अधिकार एन.सी.ई.एस.एस. के पास सुरक्षित है, जो न्यूनतम या किसी विशिष्ट निविदा को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता नहीं लेता है।
10. निर्धारित प्रपत्रों में जमा न की गई या किसी भी दृष्टि से अधूरी जमा की गई निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
11. कोई भी आवश्यक विवरण/जानकारी कार्यालयीन समय के दौरान सभी कार्य दिवसों में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

B.5 Safety, Damages & Compliance

1. The contractor shall be responsible for the safety of the labour employed by him and he shall be liable to pay the necessary compensation in case of accidents. The contractor is bound to cover the risks under workmen's compensation Act 1923 (now Employees compensation Act 1923) and comply with the provisions of said Act and insurances for injury or death of workmen at site during the progress of work. As such, contractor shall provide the policies and certificates of insurance for injury or death of workmen who engaged in the work and those policies and those certificates for insurance shall be delivered by the contractor to NCESS before the commencement of work.
2. The contractor will also be liable to abide by the fair wage clause conditions.
3. The contractor shall be liable for all damages caused to public amenities such as Electric wires, Telephone cables, water mains and private property which should be repaired and restored with least delay.
4. The work should be executed with utmost caution and manholes, rainwater collecting pit, gully trap and sewage lines should not be damaged.
5. The contractor shall make his own arrangements to extricate himself from any legal action instructed against him by other agencies.

6. The entries in the tender schedule issued by the NCESS in no way to be corrected by the bidders and if the bidders must note anything, they should note the same as a foot note in the bottom of the page. If any correction is made by the tenderer in the tender schedule, the tenders are likely to be rejected.
7. The conditions stated herein are binding upon the contractor and shall be constructed as a preliminary Agreement between the successful bidder and NCESS.
8. Submission of all annexures, duly filled in and signed by the bidder, is mandatory. Any bid not complying with this requirement will be rejected.
9. The acceptance of the tender vests with the NCESS who do not undertake to accept the lowest or any particular tender.
10. Tenders not submitted in specified forms or submitted incomplete in any respect will be rejected.
11. Any further information necessary can be obtained at the office of the undersigned on all working days during office hours.

खण्ड ग : अनुबंध की विशेष शर्तें

SECTION C: SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

ग.1 कार्य क्षेत्र एवं स्वीकृतियाँ

1. अनुसूची में दर्शाई गई मात्राएं केवल अनुमानित हैं और उनमें परिवर्तन हो सकता है; यदि आवश्यक पाया जाता है तो ठेकेदार अपनी उद्धृत दरों पर अतिरिक्त मात्रा में कार्य करने के लिए बाध्य है।
2. ठेकेदार प्रतिदिन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर/संबंधित अधिकारी को सूचित करेगा तथा निष्पादन के प्रत्येक चरण में स्वीकृति प्राप्त करेगा। स्थल पर उपयोग किए जाने से पूर्व सभी सामग्रियां पूर्व स्वीकृति हेतु भारसाधक इंजीनियर के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
3. ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्य अनुसूची प्रस्तुत करेगा तथा निर्धारित संविदात्मक अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करते हुए इसका कड़ाई से पालन करेगा।
4. कार्य निष्पादन के दौरान जहाँ भी आवश्यक हो, संयुक्त माप भारसाधक इंजीनियर / संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में लिया जाएगा।
5. ठेकेदार को संलग्न प्रारूप में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. ठेकेदार कार्य की उन मदों को भी निष्पादित करने के लिए बाध्य है जिनका स्पष्ट या निहित रूप से निविदा अनुसूची, योजना, विशिष्टियों एवं समझौते में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन निष्पादन के दौरान कार्य के उचित समापन हेतु आवश्यक पाई जाती हैं।

C.1 Work Scope & Approvals

1. The quantities shown in the schedule are only approximate and are subject to variations and the contractor is bound to do additional quantities of work if found necessary at his quoted rates.

2. The Contractor shall intimate the Engineer-in-Charge/concerned official daily before commencement of the work and obtain approval at each stage of execution. All materials shall be submitted for the prior approval of the Engineer-in-Charge before their use at site.
3. The Contractor shall submit the work schedule prior to commencement of the work and strictly adhere to the same, ensuring completion of the work within the stipulated contractual period.
4. Joint measurements, wherever required during the execution of the work, shall be taken in the presence of the Engineer-in-Charge/concerned official.
5. The contractor should produce the declaration in the form attached.
6. The contractor is bound to carry out items of work which are not expressly or impliedly described in the tender schedule, plans, specifications and agreement but which are found necessary for the proper completion of the work during execution.

ग.2 विशिष्टियाँ एवं सामग्री की गुणवत्ता

1. सभी सामग्रियां सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुमोदित ब्रांड/मेक की होंगी तथा संबंधित सी.पी.डब्ल्यू.डी. विशिष्टियों और लागू बी.आई.एस. / आई.एस. मानकों के अनुरूप होंगी। यदि आवश्यक सी.पी.डब्ल्यू.डी.-अनुमोदित मेक/ब्रांड उपलब्ध नहीं है, तो भारसाधक इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से ही समकक्ष मेक/ब्रांड का उपयोग किया जाएगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली रेत स्वच्छ, तीक्ष्ण तथा स्पर्श करने पर कंकरीली/दानेदार होनी चाहिए, जो मिट्टी एवं अन्य अशुद्धियों से मुक्त हो तथा बहते पानी के स्रोतों से प्राप्त की गई हो।
3. कार्य के लिए आवश्यक साँचे, शटरिंग आदि ठेकेदार द्वारा बनाए जाने चाहिए तथा उपयोग से पूर्व स्थल पर एन.सी.ई.एस.एस. अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कराए जाने चाहिए।
4. उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों, कारीगरी तथा अनुबंध की अन्य शर्तों एवं आवश्यकताओं के मामले में भारतीय मानक विशिष्टियों का पालन किया जाएगा।

C.2 Specifications & Material Quality

1. All materials shall be of CPWD-approved makes/brands and shall conform to the relevant CPWD Specifications and applicable BIS/IS Standards. In case the required CPWD-approved make/brand is not available, an equivalent make/brand shall be used only with the prior approval of the Engineer-in-Charge.
2. Sand supplied should be clean, sharp and gritty to the touch, free from clay and other impurities and obtained from running water courses.
3. The moulds, shuttering etc., required for the work should be made by the contractor and got approved by the NCESS officers at site before use.
4. Indian Standard Specifications shall be followed in case of all the materials used, workman ship and other condition and requirements of the contract.

ग.3 दायित्व, कमियाँ एवं भुगतान गारंटियाँ

1. कार्य निष्पादन के दौरान किसी भी कारण से होने वाली दुर्घटनाओं से जनता तथा अपने कर्मचारियों की रक्षा करना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी।
2. निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित समय-सीमा एवं शर्तों के भीतर कार्य को सभी प्रकार से तथा प्रगति की दर के अनुसार पूर्ण किया जाएगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
3. कार्य पूर्ण होने की तिथि से 12 महीने के भीतर यदि कोई कमी/त्रुटि पाई जाती है, तो उसे ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाएगा; इसमें विफल रहने पर विभाग द्वारा इस पर ध्यान दिया जाएगा और इसकी लागत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
4. The ठेकेदार इस बात से सहमत है कि अनुबंध पर अंतिम भुगतान किए जाने से पूर्व, वह माप पुस्तिका में एन.सी.ई.एस.एस. के निदेशक को अनुबंध से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों के लिए किसी भी और सभी दावों एवं मांगों से एक वैध मुक्ति व उन्मोचन पत्र पर हस्ताक्षर करके सौंपेगा; बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात ठेकेदार को अनुबंध के तहत उसके दायित्वों से मुक्त या उन्मुक्त नहीं करेगी। एन.सी.ई.एस.एस. का अंतिम माप, यदि कोई हो, अंतिम, निर्णायक एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
5. अनुबंध की अन्य सभी शर्तें और विशिष्टियाँ वही होंगी जो एन.सी.ई.एस.एस. में वर्तमान में लागू हैं।
6. बिल की राशि से 2.5% राशि सुरक्षा जमा के रूप में काटी जाएगी। कार्य के लिए ठेकेदारों की सुरक्षा जमा राशि कार्य पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष बाद वापस की जाएगी।
7. सशर्त बोलियों को सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि बोली के साथ कोई शर्त संलग्न नहीं है।
8. एन.सी.ई.एस.एस. के निदेशक के पास अनुबंध में शामिल न की गई फिटिंग या कार्यों को निष्पादित करने के लिए परिसर में अन्य श्रमिकों को लगाने का पूर्ण अधिकार होगा और ठेकेदार इसके लिए उचित सुविधा प्रदान करेगा।
9. सक्षम प्राधिकारी को इस निविदा में उल्लिखित शास्तियों/पेनाल्टी की वसूली के अधीन किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की स्वतंत्रता होगी।
10. निर्माण कार्य के दौरान सभी भवन निर्माण सामग्रियों एवं अन्य सामग्रियों जैसे पेट्रोल, डीजल, स्नेहक आदि के रेलवे या सड़क माल भाड़े की लागत में वृद्धि और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि, बिक्री कर की दरों में वृद्धि आदि के कारण एन.सी.ई.एस.एस. द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

C.3 Liability, Defects & Payment Guarantees

1. It shall be the contractor's responsibility to protect the public and his employees against accident from any cause during execution of the work.
2. The work shall be completed in all respects and also at the rate of progress within the time limit and stipulations in the Notice inviting tender, failing which the contractor is liable to be fined.
3. Defects, if any noticed within 12 months from the date of completion of the work, it will be rectified by the contractor, in default of which this will be attended by the department and the cost made good by the contractor.
4. The contractor agrees that before final payment shall be made on the contract, he will sign and deliver to the Director, NCESS in the measurement book a valid release and discharge from any

and all claims and demands whatsoever for all matters arising out or connected with the contract, provided that nothing in this clause shall discharge or release the contractor from his liabilities under the contract. The final measurements, if any, of NCESS shall be final, conclusive and binding on the contractor.

5. All other conditions and specifications of contract are the same as those current in NCESS.
6. From the bill, 2.5% of the bill amount will be deducted as security deposit. The security deposit of Contractors for work will be refunded one year after the date of completion of work.
7. Conditional bids will be summarily rejected. Also, each bidder shall furnish a certificate to the effect that no condition is enclosed along with the bid.
8. Director, NCESS will have full powers to engage other workmen on the premises to execute fittings or carryout works not included in the contract and the contractor shall afford reasonable facility for the same.
9. The competent authority shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject to recovery of penalties mentioned in this tender.
10. No claim will be entertained by the NCESS on account of any increase in railway or road freight cost of all building materials and other materials like petrol, diesels, lubricants etc. and for any increase in the wages of labour increase in rates of sale tax etc. during the course of construction.

ग.4 स्थल सफाई एवं नियामक अनुपालन

1. हटाए गए /विघटित (सामग्रियों का निपटान, यदि कोई हो, एन.सी.ई.एस.एस. के ई.ए.एंड एम. अनुभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यालय द्वारा चिह्नित स्थल पर किया जाना चाहिए।
2. कार्य पूर्ण होने पर, ठेकेदार स्थल से निर्माण की सभी अतिरिक्त सामग्रियों, मलबे और हर प्रकार के अस्थायी निर्माणों को साफ करके हटाएगा तथा एन.सी.ई.एस.एस. के संतोषजनक रूप से पूरे स्थल एवं कार्य क्षेत्र को स्वच्छ स्थिति में छोड़ेगा। एन.सी.ई.एस.एस. से इस आशय की सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर यदि ठेकेदार इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो एन.सी.ई.एस.एस. द्वारा ठेकेदार के खर्च पर ऐसी सफाई कराई जा सकती है।
3. कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त श्रमिकों के माध्यम से ही निष्पादित किया जाएगा।
4. सभी सामग्रियों पर जीएसटी के साथ-साथ कार्य अनुबंध आदि पर जीएसटी, या इस अनुबंध के संबंध में लागू कोई भी अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा। उसके द्वारा उद्धृत प्रतिशत दर में ऐसे कर, उपकर आदि शामिल होने चाहिए और एन.सी.ई.एस.एस. इसके पुनर्भुगतान के संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। अनुबंध की प्रतिशत दरों में सभी कर और उपकर शामिल होंगे तथा विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। अनिवार्य कटौतियाँ जैसे आयकर, जीएसटी आदि और कोई भी अन्य कर या उपकर जो भविष्य में इस कार्य पर लागू होते प्रतीत हों, ठेकेदार को भुगतान करते समय लागू नियमों के अनुसार बिलों से काटे जाएंगे।
5. एन.आई.टी.को अनुबंध समझौते का ही एक भाग माना जाएगा।

C.4 Site Clearance & Regulatory Compliance

1. The dismantled materials if any should be disposed of to the site marked from the office in the presence of the staff of EA&M section of NCESS.
2. On completion of the work, the contractor shall clear away and remove from the site all construction surplus materials debris and temporary works of every kind and leave the whole of the site and working area in clear condition to the satisfaction of NCESS. In the event of the failure of the contractor to comply with those directions within seven days after receipt of a notice to that effect from NCESS, such clearness may be made by the NCESS at the expense of the contractor.
3. The work shall be executed only through licensed workers.
4. GST on all materials as well as GST on Work Contract etc., or any other taxes applicable in respect of this contract shall be payable by the Contractor. Percentage rate quoted by him should be inclusive of such taxes, levies etc. and NCESS will not entertain any claim for reimbursement whatsoever in respect of the same. The percentage rates of the contract shall be inclusive of all taxes and levies and nothing extra shall be paid department. Mandatory deductions such as IT, GST etc. and any other taxes or levies that seem to be applicable to this work in future will be deducted from the bills as per the rules in force while making payment to the contractor.
5. NIT is construed as part of the Contract Agreement.

खण्ड घ : उचित मजदूरी

1. ठेकेदार कार्य पर अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेगा।
2. निदेशक के पास ठेकेदार को देय राशि में से ऐसी कोई भी राशि घटाने/काटने का अधिकार होगा, जो श्रमिकों की भलाई के लिए अनुबंध की शर्तों के अपूरण, ऐसी मजदूरी का गैर-भुगतान जो अनुबंध की शर्तों द्वारा उचित न हो, या नियमों का पालन न करने के कारण किसी श्रमिक या श्रमिकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक हो या जिसका आवश्यक होना अनुमानित हो।
3. ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी भी श्रमिक की मृत्यु का कारण बनने वाली या इतनी गंभीर दुर्घटना होने पर, जिसके कारण ऐसे किसी श्रमिक की मृत्यु होने की संभावना हो, ठेकेदार ऐसी दुर्घटना घटने के 24 घंटे के भीतर निदेशक, एन.सी.ई.एस.एस. को दुर्घटना के इस तथ्य की लिखित में सूचना देगा।
4. ऐसी दुर्घटना की स्थिति में जिसके लिए क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता है, ठेकेदार उस उद्देश्य के लिए धनराशि का भुगतान करेगा; ठेकेदार कार्य में लगे श्रमिकों की चोट या मृत्यु के लिए बीमा पॉलिसियां एवं प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा वे पॉलिसियां एवं बीमा प्रमाण पत्र कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ठेकेदार द्वारा एन.सी.ई.एस.एस. को सौंपे जाएंगे।.

SECTION D: FAIR WAGE

1. The contractor shall pay not less than fair wages to laborers engaged by him on the work.
2. Director shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor and any sum required of estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or

workers by reasons of nonfulfillment of the conditions of the contract for the benefit of the works, nonpayment of wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the regulations.

3. On the occurrence of an accident which results in the death of any of the workmen employed by the contractor or which is so serious as to be likely to result in the death of any such workmen, the contractor shall within 24 hours of the happening of such accidents, intimate in writing to Director NCESS, the fact of such accident.

4. In the event of an accident in respect of which compensation needs to be paid, the contractor shall pay the sum of money for that purpose, contractor shall provide the policies and certificates of insurance for injury or death of workmen who engaged in the work and those policies and those certificates for insurance shall be delivered by the contractor to NCESS before the commencement of *w*ork.

खण्ड ङ : ई एम डी (EMD) का भुगतान कैसे करे

1. एन.सी.ई.एस.एस. की वेबसाइट https://www.ncess.gov.in/ पर जाएँ।
2. **e-Governance** पर क्लिक करें।
3. online payments पर क्लिक करें।
4. EMD क्लिक करें।
5. Pay Now पर क्लिक करें।
6. **payment category – EMD** चुनें।
7. अपना विवरण दर्ज करें और भुगतान करें।

SECTION E: HOW TO PAY EMD

- **1.** Go to the NCESS website https://www.ncess.gov.in/
- **2.** Click e-Governance
- **3.** Click online payments
- **4.** Click EMD
- **5.** Click Pay Now
- **6.** Select payment category – EMD
- **7.** Enter your details and Pay

SECTION F: ANNEXURES & FORMS

ANNEXURE - 1: ACCEPTANCE OF TENDER TERMS AND CONDITIONS

To
The Director
National Centre for Earth Science Studies
Thiruvananthapuram.

Sir,
I/We do hereby agree to execute the works enumerated in the Schedule accompanying in accordance with the terms in your tender notification and specifications and conditions of contract in force in NCESS. I/We agree to complete the whole work as per the Tender Schedule. I/We do agree to accept and carry out such portions of the work included in my/our tender as may be allotted to me/us if the work is not given to me / us. I/We agree to keep the tender open for acceptance for 180 days from the due date of submission thereof and not make my modifications in its items and conditions which are not acceptable to NCESS.

Yours faithfully,
(Usual Signature of Tenderer)

Full Name: …….

Nationality: …….

Place of Residence: …….

Date of Submission: ……

ANNEXURE - 2: FORM OF DECLARATION

I ..... do hereby declare that none of my relations as per the list given in Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956 is in charge of the above work or are having control over it.

I ..... do hereby distinctly and expressly declares and acknowledge that I have read the specifications therein and the NIT and do hereby admit that those conditions are binding on me and I shall abide by the terms and conditions as stipulated therein in respect of work .....

.....

I ..... do hereby certify that no conditions are enclosed with the tender.

Place Signature

Date

ANNEXURE - 2(a): FORM OF NOMINATION

I ..... do hereby nominate and authorize Sri./Smt. ..... aged .....

years of ..... village .....

Taluk ..... District residing at .....

.....

to receive all any sum found due to me under the terms of contract (Agreement No. ..... Dated ..... and details of contract in the event of my death before the amount has become payable or having become payable but has not been paid.

Signature:

Name:

Address:

In the presence of witness:

1. Name & Address
2. Name & Address

Signature Signature

ANNEXURE - 3: TENDER FORM

No.	Details	To Be Filled by the Bidder
1.	Name of the Bidder	
2.	Address	
3.	Mobile Number/Telephone Number	
4.	E mail ID	
5.	PAN No. (copy should be enclosed)	
6.	PWD/CPWD/BSNL/Railway/Irrigation/KWA Civil License Number (copy should be enclosed) Eligibility amount	
7.	Experience of the Contractor (copy should be enclosed)	
8.	Name of the Supervisor Mobile number of the supervisor	
9.	GST No.	
10.	Bank account No. & IFSC code	

DECLARATION

1. The above facts are true to the best of my knowledge, and I shall be held fully responsible for any wrong statement.
2. I have read the tender notice and understood the terms and conditions for this work as laid down by National Centre for Earth Science Studies, Trivandrum and I agree to abide the terms and conditions of the contract and also agree to undertake the work as per the description and as per rates quoted by me if my quotation is accepted.
3. Copy of PAN Card & PWD /CPWD license duly attested is enclosed.

Date

Name & Signature of the Tenderer

ANNEXURE - 4: BIDDER COMPLIANCE & DOCUMENT CHECKLIST

Sl.	Requirement / Document Description	Enclosed (Yes/No)	Reference Page No. / Doc Ref
1	Earnest Money Deposit (EMD)		
2	Contractor Registration / License		
3	PAN Card & Identification Proof		
4	GST Registration Certificate		
5	Bank Account details		
6	Similar Work Experience Certificates for last 7 years:		
7	Acceptance of Terms (Annexure - 1)		
8	Form of Declaration (Annexure - 2)		
9	Form of Nomination (Annexure - 2a)		
10	Tender Form Details (Annexure - 3)		
11	Bidder Undertaking		

बोलीदाता का वचन-पत्र /BIDDER UNDERTAKING

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर अपलोड/संलग्न की गई जानकारी और दस्तावेज सत्य, पूर्ण और प्रामाणिक हैं। मैं समझता हूँ/हम समझते हैं कि यदि किसी भी स्तर पर कोई दस्तावेज या जानकारी झूठी/फर्जी पाई जाती है, तो मेरी/हमारी निविदा/अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और धरोहर राशि (EMD) / कार्य-निष्पादन गारंटी ज़ब्त कर ली जाएगी।

I/We hereby certify that the information and documents uploaded/enclosed above are true, complete, and authentic. I understand that if any document or information is found false/fake at any stage, my tender/contract shall be cancelled, and EMD/Performance Guarantee forfeited.

दिनांक/Date: .....

स्थान/Place: .....

नाम/Name: .....

हस्ताक्षर/Signature

फर्म/कंपनी की मुहर / Seal of the Firm/Company

प्रशासन प्रमुख (प्रभारी) / Head (I/C), Administration
राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र / National Centre for Earth Science Studies

Digitally signed by
Reji Srinivas
Date: 23-11-2026
14:44:10